



पत्रांक-8 बजट (1) 05/2026 31/10 आ०

दिनांक- 11/08/2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०

निदेशक, पशुपालन,

बिहार।

सेवा में

प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरौव, बक्सर।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 102 पशु तथा भैंस विकास, उपशीर्ष 0001 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पटना एवं डुमरौव), मांग संख्या-02, विपत्र कोड 02-2403001020001 के अन्तर्गत व्यय को वहन करने हेतु कुल रुपये 77,79,000/- (सतहत्तर लाख उनासी हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 04 (नि०) आ० दिनांक 20.04.2026 के क्रम में व्यय को वहन करने हेतु कुल रुपये 77,79,000/- (सतहत्तर लाख उनासी हजार) आवंटित किये जाते हैं।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं० -2 के अधीन मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 102 पशु तथा भैंस विकास उपशीर्ष 0001 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पटना एवं डुमरौव), मांग संख्या-02, विपत्र कोड 02-2403001020001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये स्थायी योजना एवं स्थायी स्थापना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि का विकलन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरेक कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाये। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

5. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998, 236/वि० दिनांक- 09.03.2026, 314/वि० दिनांक-01.04.2026 एवं 380/वि० दिनांक 20.04.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

8

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करायी जाय।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) पुनरीक्षित प्राक्कलन 2026-27 एवं बजट प्राक्कलन 2027-28 दिनांक 31 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध करा दें।

(च) वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रत्यपण प्रतिवेदन 15 मार्च 2027 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक-8 बजट (1) 05/2026 प0पा0 31 (अ) आ0/

पटना-14, दिनांक- 11/08/2026

प्रतिलिपि — उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या — टी0 ए0- 57 — 96-97-प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.1999 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— संबंधित कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को अनुलग्नक की प्रति के साथ (विभागीय वेबसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्ष 2403 पशुपालन उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 102 पशु तथा भैंस विकास उपशीर्ष 0001 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पटना एवं डुमराँव), मांग संख्या-02, विपत्र कोड -02-2403001020001 के अन्तर्गत आवंटन की विवरणी:-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी – प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर

क्र० सं०	कूट संख्या एवं मद का नाम	आवंटित राशि		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5
1	01 01 – वेतन	21,10,600	42,85,400	63,96,000
2	01 03 – जीवन यापन भत्ता	13,82,000	28,06,000	41,88,000
3	01 04 – मकान किराया भत्ता	2,25,700	4,58,300	6,84,000
4	01 05 – परिवहन भत्ता	11,800	24,200	36,000
5	01 06 – चिकित्सा भत्ता	71,200	1,44,800	2,16,000
6	01 07 – अन्य भत्ता	29,700	60,300	90,000
योग – 02-2403.00.102.0001.01– वेतन		38,31,000	77,79,000	1,16,10,000
7	11 01 – यात्रा व्यय	-	0	0
8	13 01 – कार्यालय व्यय	33,000	0	33,000
9	13 02 – वाहन का ईंधन एवं रखरखाव	-	0	0
10	13 03 – दूरभाष	4,600	0	4,600
11	13.04 – विद्युत प्रभार	-	0	0
योग – 02-2403.00.102.0001.13 – कार्यालय व्यय		37,600	-	37,600
12	14.01 किराया, महसूल एवं कर	45,59,600	0	45,59,600
13	21.01 – सामग्री एवं पूर्तियाँ	9,90,000	0	9,90,000
14	52.01 – मशीनें एवं उपस्कर – कार्यालय	33,000	0	33,000
योग – 02-2403.00.102.0001 – पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पटना एवं डुमराँव)		94,51,200	77,79,000	1,72,30,200

रुपये 77,79,000/- (सतहत्तर लाख उनासी हजार) मात्र।

31/10/2026
11/08/2026

निदेशक, पशुपालन।
8